

राजस्थान सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

क्रमांक: एफ 65 (1) खावि/एलपीजी/2026/ई-00868

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

वर्तमान अन्तरराष्ट्रीय परिदृश्य के मध्यनजर प्रदेश में एलपीजी एवं पेट्रोलियम उत्पाद की निरन्तर एवं निर्बाध आपूर्ति तथा जनसामान्य की उक्त के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सम्पर्क पोर्टल हैल्पलाईन(181) पर प्राप्त शिकायतों के समाधान में विभागीय प्रभावी पर्यवेक्षण का कार्य अग्रिम आदेशों तक श्री चंदीराम जसवानी, उपायुक्त (चतुर्थ), खाद्य विभाग द्वारा किया जायेगा।

श्री जसवानी राजस्थान सम्पर्क पोर्टल हैल्पलाईन(181) पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण संबंधित दैनिक प्रगति रिपोर्ट शासन सचिव, खाद्य को सांय 05.00 बजे प्रस्तुत करने की सुनिश्चितता करेंगे।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त

प्रतिलिपि:- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
4. संयुक्त सचिव (जेवी), मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. कार्यकारी निदेशक एवं राज्य स्तरीय समन्वय तेल कम्पनियों, राजस्थान, जयपुर।
8. श्री चन्दीराम जसवानी, उपायुक्त(चतुर्थ) खाद्य विभाग, राजस्थान।
9. एसीपी, आईटी सैल को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करावे।
10. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त संबंधित अधिकारी/कर्मचारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान।
12. रक्षित पत्रिका

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2026.04.02 20:38:18 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21396894

